677
05.02.24

# उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य

नवाड़खेड़ा, गौलापार (नैनीताल)

05946–299615,05946–299616,05946–299617
Mail Id: highereducation.director@gmail.com

पत्रांकः डिग्री विविध–वि0/ 6423 /2023–24

दिनॉकः 03 फरवरी, 2024

सेवा में,
प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषयः– ''मुख्यमंत्री खेल विकास निधि'' से सम्बन्धित Standard Operating Procedure (SOP) के एवं अनुमोदन प्रपत्र पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांकः 987/VI-3/2024(34)(15)2022 खेलकूद अनुभाग देहरादून, दिनांकः 29 जनवरी, 2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें '' उत्तराखण्ड राज्य के खिलाड़ियें को राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारियों हेतु सहायता करने, उच्च कोटि का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, खिलाड़ियों को आधुनिक खेल उपकरणों हेतु आर्थिक सहायता करने, राज्य में स्थापित खेल अवस्थापना सुविधाओं का बेहतर रख–रखाव करने, खेलों में उत्कृष्टता को सहयोग देने के लिये अनुसंधान और विकास अध्ययन आरम्भ करने आदि के लिये तथा प्रस्तावित निधि को ओर अधिक प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य'' से ''मुख्यमंत्री खेल विकास निधि'' से सम्बन्धित Standard Operating Procedure (SOP) की स्थापना/बनाये जाने का उल्लेख किया गया है।

तदक्रम में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय

(प्रो0 चन्द्र दत्त सूँठा),
निदेशक,
उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

डॉ गीता पन्त (क्रीड़ा प्रभारी), आव॰ कार्य करें।
5.2.2024

Scanned with CamScanner

File No. SPRT-BGHRE/E1/2023/2D-Sports Department (Computer No. 66359)
1/185494/2024 संख्या– /VI-3/2024-34(16)2022
1/185494/2024 प्रेषक,

अमित सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग देहरादून : दिनांक 29 जनवरी, 2024

विषयः "मुख्यमंत्री खेल विकास निधि" से सम्बन्धित Standard Operating Procedure (SOP) एवं आवेदन प्रपत्र पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खेल निदेशालय के पत्र संख्या–1689, दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तराखण्ड राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारियों हेतु सहायता करने, उच्च कोटि का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, खिलाडियों को आधुनिक खेल उपकरणों हेतु आर्थिक सहायता करने, राज्य में स्थापित खेल अवस्थापना सुविधाओं का बेहतर रख–रखाव करने, खेलों में उत्कृष्टता को सहयोग देने के लिए अनुसंधान और विकास अध्ययन आरम्भ करने आदि के लिए तथा प्रस्तावित निधि को ओर अधिक प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य" से सम्यक् विचारोंपरान्त "मुख्यमंत्री खेल विकास निधि" से सम्बन्धित Standard Operating Procedure (SOP) की स्थापना/बनाये जाने की "श्री राज्यपाल महोदय" सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) परिचय :–

I. उत्तराखण्ड राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए निधि के धन का प्रबन्धन, उपयोग तथा विशिष्ट खेल अनुशासन और विशेष रूप से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करना।
II. खिलाड़ियों को अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रशिक्षकों एवं खेल विशेषज्ञों के सहयोग से खेल विधाओं में विशेष प्रशिक्षण प्रदान कराना।
III. खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण एवं बुनियादी ढांचे को बनाये रखना।
IV. खेल अवस्थापना सुविधाओं के आरक्षण शुल्क से प्राप्त धनराशि का उपयोग अनुरक्षण कार्यों के लिए करना।
V. खेल अवस्थापना एवं खेलों को बढ़ावा देने के लिए खिलाडियों एवं सगठनों को खेल उपकरण उपलब्ध कराना।
VI. खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अनुसंधान एवं विकास अध्ययन कराना।
VII. राज्य में खेलों के विकास, खेल संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से वो सभी कार्य करना/संसाधन उपलब्ध कराना जो आवश्यक प्रतीत होगें।

(2) उद्देश्य :–

"मुख्यमंत्री खेल विकास निधि" का मुख्य उद्देश्य सामान्य और विशिष्ट खेल विषयों में खेलों को बढ़ावा देना और विशेष रूप से राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता प्रदान करने हेतु अनुकूलित प्रशिक्षण और यथावश्यक खेल बुनियादी ढांचे का विकास और खेल उपकरणों की आपूर्ति सुगमता एवं समयबद्ध रूप से करना।

(ब्योमकेश दूबे)
उप सचिव
उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड शासन

(भीमसेन गुप्ता)
वरिष्ठ निजी सचिव
उत्तराखण्ड शासन

(कपिल कुमार चौहान)
निजी सचिव–अपर सचिव
उच्च शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी
सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग
उत्तराखण्ड शासन

private:stream



Generated from eOffice by KAMALKANT SHARMA, RO-KKS, REVIEW OFFICER, Sport Department on 30/01/2024 10:44 AM

Scanned with CamScanner

I/185494/2024

**चयन समिति :-**

2- (1) खिलाड़ियों के चयन तथा प्रदर्शन की समीक्षा एवं खेल विधाओं के निर्धारण के साथ योजना के मापदण्डों के अनुसार संचालन के लिए गठित समिति का नाम "उत्कृष्ट खिलाड़ी चयन समिति" होगा। जिसके सदस्य निम्नवत् होगें :-

| | | |
|---|---|---|
| (क) सचिव, खेल, उत्तराखण्ड शासन | – | अध्यक्ष। |
| (ख) निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड | – | सदस्य। |
| (ग) सचिव, खेल द्वारा नामित खेल विशेष में विख्यात खिलाड़ी | – | सदस्य। |
| (घ) प्रधानाचार्य, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज | – | सदस्य। |

**खिलाड़ियों को सहायता :-**

3- (1) ऐसी खेल विधायें, जो ओलम्पिक खेल (ग्रीष्म एवं शीत कालीन खेल तथा पैरालम्पिक खेल सहित), राष्ट्रमण्डल खेल, एशियाई, सैफ खेल एवं राष्ट्रीय खेल में सम्मिलित है को मुख्यमंत्री खेल विकास निधि के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जायेगी। राष्ट्रीय खेल हेतु चिन्हित "उच्च प्राथमिक खेल विधाओं, प्राथमिक खेल विधाओं एंव सामान्य खेल विधाओं" को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, में 'उच्च प्राथमिक खेल विधाओं, प्राथमिक खेल विधाओं एंव सामान्य खेल विधाओं" को स्पष्टतः उल्लिखित किया जाय।

(2) सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ी, जो उपरोक्त खेलों में पदक जीतने की सम्भावनायें रखते है को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए चुना जायेगा। उत्तराखण्ड राज्य/अन्य प्रदेशों एवं विदेश में उनके अनुकूलित प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन, प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग, आने जाने पर व्यय, खेल उपकरणों तथा दैनिक भत्ता आदि के लिए सहायता प्रदान की जायेगी। खेल विशेषज्ञों की समिति निर्धारित मापदण्डो के अनुसार खिलाड़ी के विगत् वर्षो के प्रदर्शन एवं भविष्य के क्षमताओं के आधार पर खिलाड़ियों का चयन करेगी।

(3) चयनित खिलाड़ियों को विश्व स्तर की सुविधाओं वाले सस्थानों में उनके अनुकूलित प्रशिक्षण के लिए वित्तीय तथा खेल उपकरणों के क्रय हेतु सहायता प्रदान की जायेगी। योजना के तहत खिलाड़ियों के चयन का मापदण्ड राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा एवं इनके प्रदर्शन की वार्षिक एवं द्विवार्षिक समीक्षा की जायेगी।

(4) योजना में चयन हेतु खिलाड़ियों से प्राप्त आवेदन अधिकतम 45 दिनों में निस्तारित किये जायेगें। इच्छुक खिलाड़ियों को सहायता के लिए निर्धारित प्रारुप में उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्धित खेल संघ की संस्तुति के उपरान्त खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करना होगा, में खेल संघो की संस्तुति के इतर निदेशक, खेल की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें खेल संघ के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकता हैं, की संस्तुति से रखा जाय।

(5) आवेदक खिलाड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का सत्यापन एवं खिलाड़ी की विगत वर्षो के प्रदर्शन व भविष्य की क्षमता एवं कराये जाने वाले प्रशिक्षण की प्रासंगिकता का मूल्यांकन निदेशालय स्तर पर निदेशक, खेल की अध्यक्षता में खेल विशेष हेतु गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

(6) आवेदक खिलाड़ी द्वारा प्रशिक्षण हेतु चयनित संस्थान, प्रशिक्षण शुल्क एवं प्रशिक्षक के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या संलग्न करनी होगी।

(7) चयनित आवेदक खिलाड़ियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।

(8) आवेदक और प्रशिक्षण संस्थान को आवेदक द्वारा प्रशिक्षण अवधि के उपरान्त किये गये प्रदर्शन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी तथा प्रशिक्षण के अन्त में विभिन्न मदों में व्यय की गयी धनराशि के बाउचर/बिल/रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

(9) यदि कोई खिलाड़ी वर्तमान मापदण्डों को पूर्ण करने में विफल रहता है तो उसे प्रदान की गयी सहायता को बिना किसी पूर्व सूचना के वापस लिया जा सकता है, उचित नही है, को हटाया जाय तथा उक्त के स्थान पर यदि कोई खिलाड़ी वर्तमान मापदण्डों को पूर्ण करने में विफल रहता है तो उसे प्रदान की जा रही सहायता को अनवरत प्रदान किये जाने से रोका जा सकता है, का प्राविधान सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जाय।

private:stream



Generated from eOffice by KAMALKANT SHARMA, RO-KKS, REVIEW OFFICER, Sport Department on 30/01/2024 10:44 AM

Scanned with CamScanner

(10) चयनित खिलाड़ी को एक वित्तीय वर्ष के दौरान आर्थिक सहायता (Pocket Allowance) ₹25,000/- प्रतिमाह देय होगी। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं खेल उपकरणों सहित इसकी अधिकतम सीमा ₹10.00 लाख तक होगी।

(11) खिलाड़ियों को सहायता के प्राविधान में किसी भी दशा में खेल नीति, 2021 से विभक्त न हो तथा उनमें किसी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न न हो। किसी भी प्रतिकूल स्थिति में खेल नीति, 2021 के प्राविधान प्रभावी होंगे।

(12) खेल नीति, 2021 के अन्तर्गत संचालित "मुख्यमंत्री खेल उन्नयन योजना" में 8 से 14 एवं 14 से 23 आयु वर्ग के खिलाड़ियों को चयनित किये जाने की व्यवस्था है, प्र0वि0 प्रथमतः उक्त आयु वर्ग से ही इस निधि के माध्यम से खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु चयनित किया जाय तथा तदोपरान्त 23 वर्ष से उच्च आयु वर्ग के खिलाड़ियों को चयनित किया जाय।

<u>प्रशिक्षण की अवधि :-</u>

4- (1) एक वर्ष में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की अवधि राज्य में/अन्य प्रदेश में/विदेश में अधिकतम 02 माह होगी। खिलाड़ियों के विदेश में प्राप्त कर रहे प्रशिक्षण की अवधि का मूल्यांकन उत्कृष्ट खिलाडी चयन समिति के निर्णय उपरान्त ही समयावधि को बढ़ाये जाने पर विचार किया जायेगा।

(2) खेल प्रशिक्षण संस्थानों के स्तर एवं प्रशिक्षण शुल्क की दरों व अन्य सेवा के शुल्क की विस्तृत जानकारी प्रौस्पेक्टस/सूचना बुटेलिन के माध्यम से खिलाड़ी द्वारा आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध करानी होगी।

<u>खिलाड़ियों को खेल उपकरणों के क्रय हेतु सहायता :-</u>

5- (1) इस योजना के तहत प्रशिक्षण हेतु चयनित खिलाड़ी खेल उपकरणों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन कर सकते है, जो सम्बन्धित खेल विधा में प्रशिक्षण व प्रतियोगिता हेतु आवश्यक है।

(2) प्रस्तावित खेल उपकरण प्रशिक्षण/प्रतियेागिताओं में उपयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

(3) इच्छुक खिलाड़ियों को अधिकृत एंजेसी से ऐसे उपकरणों के क्रय के लिए प्रचलित अधिप्राप्ति नियमावली का पालन करना होगा। यदि एक फर्म द्वारा निर्मित स्वामित्व वाली उपकरण है तो निर्माता/एक मात्र वितरक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा तथा उपकरणों की खरीद के लिए चालान/बिल/रसीद उपलब्ध करानी होगी।

(4) यदि ऐसे खेल उपकरणों खरीद में आयात/लाईसेंस शुल्क आदि सम्मिलित है तो देश के वैधानित प्राविधानों का पालन करना खिलाडी की जिम्मेदारी होगी।

(5) खेल विभाग द्वारा खिलाडी को खेल उपकरण हेतु दिये गये अनुदान की उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा कराना अनिवार्य होगा।

<u>प्राइज मनी टूर्नामेन्ट :-</u>

7- (1) इस योजना के अन्तर्गत खिलाड़ियों में गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार लाने वाली प्रतियेागिताओं को बढ़ावा देंने के उद्देश्य से चयनित खेलों विधाओं में पुरस्कार राशि की प्रतियेागिताओं का आयोजन किया जायेगा, जिससे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सम्बन्धित खेल में शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने एवं उनके प्रदर्शन को देखने का अवसर प्राप्त होगा।

(2) सीनियर एवं जूनियर वर्ग की प्रतियेागिताओं में पुरूषों और महिलाओं को विभिन्न श्रेणीयों में प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होगा।

(3) विभिन्न खेल विधाओं हेतु निर्धारित प्रतियोगिताऐं <u>जैसे-ओलम्पिक/एशियाई/राष्ट्रमण्डल</u> /सैफ/राष्ट्रीय खेल के लिए अनुमोदित श्रेणियों के आधार पर आयोजित किया जायेगा।

private:stream



Scanned with CamScanner

**प्रस्ताव विचार/अनुमोदन :–**

8– समस्त आवेदनों पर खेल निदेशालय स्तर की विभागीय समिति विचार करेगी तथा परीक्षण कर **"उत्कृष्ट खिलाड़ी चयन समिति"** को प्रेषित करेगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी चयन समिति परीक्षण आवदेनों पर निर्णय लेगी।

**भुगतान की प्रक्रिया :– खिलाड़ियों को सहायता**

9– उपकरणों के क्रय के लिए सक्षम स्तर से आर्थिक सहायता हेतु निम्नानुसार अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। खिलाड़ियों के आवेदन के अनुमोदन के उपरान्त निम्नानुसार किश्त जारी करेगा :–

(1) गवर्निंग बाडी – ₹1.00 करोड से अधिक।

(2) मुख्य सचिव – ₹75 लाख तक।

(3) सचिव, खेल – ₹50 लाख तक।

(4) निदेशक, खेल – ₹25 लाख तक।

1– प्रथम किश्त– स्वीकृत राशि का 75 प्रतिशत, अग्रिम के रूप में

2– अन्तिम किश्त– शेष राशि प्रशिक्षण/उपकरण क्रय के पूर्ण होने पर

***(विशेष परिस्थितियों में प्रथम राशि 90 प्रतिशत अग्रिम के रूप जारी की जा सकती है, शेष 10 प्रतिशत अवशेष धनराशि प्रशिक्षण/प्रतियोगिता के समाप्त होने पर प्रदान की जायेगी)।***

(5) खिलाडियों को सहायता के प्राविधान में किसी भी दशा में खेल नीति, 2021 से विभक्त न हो तथा उनमें किसी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न न हो। किसी भी प्रतिकूल स्थिति में खेल नीति, 2021 के प्राविधान प्रभावी होंगे।

(6) खिलाडियों को सहायता में उपकरण हेतु देय आर्थिक सहायता को किश्त के रूप में प्रदान किये जाने का औचित्य इस प्रयोजन से नही हैं कि चयनित खिलाडी द्वारा उसकी श्रेणीनुसार खेल विशेष हेतु क्रय किये जाने वाले उपकरण का पूर्ण भुगतान किये जाने की दशा में ही संबंधित खिलाडी उपकरण का क्रय कर सकता हैं, किश्तों में उपकरण के क्रय हेतु कदाचित कोई भी दुकानदार तैयार न हो, तद्कारण प्रस्तावित किश्त के प्राविधानों को हटा दिया जाये। उक्त प्रदत्त आर्थिक सहायता के सापेक्ष खिलाडी द्वारा क्रय किये गये उपकरण की पुष्टि को सुनिश्चित करने का दायित्व अनिवार्यतः विभाग का होगा।

10– खिलाड़ियों को प्रशिक्षण/प्रतियोगिताओं/खेल उपकरणों के क्रय हेतु प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता में किन्ही विशिष्ट प्रकरणों में प्राविधान से इतर नियमों में शिथिलीकरण हेतु **"उत्कृष्ट खिलाडी चयन समिति"** की संस्तुति उपरान्त प्रकरण पर कार्यकारी समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।

11– प्रशिक्षण/प्रतियोगिता के पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक खेल निदेशालय को निम्नलिखित प्रपत्र जमा कराना आवश्यक होगा :–

(क) प्रशिक्षण/प्रतियोगिता के समापन के उपरान्त विस्तृत आख्या एवं प्रमाण–पत्र (फोटो सहित)

12– उक्त निधि से खिलाडियों/प्रशिक्षक/उपकरण हेतु प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता उसी दशा में प्रदान की जाये, जब विभागान्तर्गत प्रचलित अन्य शासनादेशों के माध्यम से प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता अपर्याप्त हो। प्रदान की गई आर्थिक सहायता की नियमित monitoring की जाये।

13– किसी भी दशा में खिलाडियों/प्रशिक्षक को दोहरी आर्थिक सहायता प्रदान न की जाये।



Scanned with CamScanner

-6-

14- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा खेल विभाग की e-office संख्या-66359/2024 दिनांक 18 जनवरी, 2024 में प्राप्त परामर्श/प्रदत्त सहमति के कम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक :- योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन प्रपत्र का प्रारूप।

Signed by Amit Kumar Sinha
Date: 29-01-2024 16:27:44

भवदीय,

(अमित सिन्हा)
विशेष प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 987/VI-3/2024-34(15)2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संबंधित प्रधानाचार्य, स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून/पिथौरागढ़।
8. समस्त जिला कीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

Signed by Jitendra Kumar Sonkar
Date: 29-01-2024 17:51:28

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव।

क्रमशः-8/-



Scanned with CamScanner

संलग्नक :- योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु आवेदन प्रपत्र का प्रारूप।

# मुख्यमंत्री खेल विकास निधि
# खेल विभाग, उत्तराखण्ड

**मुख्यमंत्री खेल विकास निधि – वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र**

**भाग 1 – सामान्य सूचना**

1.1 आवेदक का नाम (व्यक्ति/संगठन)
1.2 पता
1.3 संपर्क विवरण
- (1) टेलीफोन नम्बर
- (2) मोबाइल नम्बर
- (3) ईमेल पता
- (4) आधार कार्ड
- (5) खाता संख्या
- (6) बैंक का नाम/शाखा
- (7) आई0एफ0एस0सी0 कोड

**भाग 2 – उपकरण प्रशिक्षण/उपकरण हेतु खिलाड़ियों से आवेदन/प्रस्ताव**

**2.1 प्राथमिक सूचना**
1. जन्मतिथि
2. शैक्षिक/विशिष्ट योग्यता
3. वर्तमान में रोजगार का विवरण
4. विभिन्न स्रोतो से आय/वित्तीय सहायता

**2.2 खेल उपलब्धियां**
1. खेल विधा का नाम
2. विगित् पांच वर्षो में अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन का विवरण
3. रैंकिंग (अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर/जूनियर/सब–जूनियर वर्ग में)
   1. विश्व रैकिंग
   2. एशियाई रैकिंग
   3. राष्ट्रीय

**2.3** प्रशिक्षण के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास निधि/अन्य स्रोतों से प्रशिक्षण के लिए विगत् वर्षों में प्राप्त सहायता

**2.4** वित्तीय सहायता प्राप्त करने का लक्ष्य (प्रस्तावित प्रशिक्षण से आगामी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संदर्भ में)



Scanned with CamScanner

2.5 प्रस्तावित प्रशिक्षण का विवरण

1. प्रशिक्षण संस्थान का नाम व स्थान
2. प्रशिक्षण अवधि
3. प्रशिक्षण अवधि में प्रयास
4. प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

2.6 प्रस्तावित प्रशिक्षण पर मदवार व्यय का विवरण

2.7 प्रशिक्षण/प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग हेतु खेल उपकरणों की खरीद के लिए सहायता

1. उपकरण का विवरण (ब्राण्ड)
2. उपकरण की अनुमानित लागत
3. उपकरण का निर्माण/देश का नाम
4. उपकरण की खरीद की प्रक्रिया

2.8 आवेदक को प्रस्तावित प्रशिक्षण/उपकरणों के क्रय हेतु यह घोषणा करते हुये शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्राप्त धनराशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जायेगा, जिसके लिए सहायता प्राप्त की गयी है और व्यय धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी। शपथ पत्र में अन्य स्रोतों से प्राप्त वित्तीय सहायता के विवरण का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

आवेदक का नाम/हस्ताक्षर

private:stream



Generated from eOffice by KAMALKANT SHARMA, RO-KKS, REVIEW OFFICER, Sport Department on 30/01/2024 10:44 AM

Scanned with CamScanner